न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
82 / 2019	2019 / 301	02.12.2019	08.06.2022

उनवान प्रकरण

1. मोतीराम पुत्र भागीरथ मल आयु 33 साल जाति कुमावत निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.)

—अप्रार्थी

उपस्थितः–

श्री रघुनाथ सिंह शेखावत, एड0 प्रार्थी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का खिलाफ अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 498 रकबा 0.04 हैक्टर एंव खसरा न. 500 रकबा 2.72 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.76 हैक्टर तन् ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके 1/15 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम से अंकित है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 0.70 हैक्टर व 486 रकबा 0.83 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टर तन् ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.22 17:06:08 IST
Reason: Self Attested

08/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सीकर राजस्थान में अवस्थित है। जिसके 1/30 हिस्से की खातेदारी प्रार्थी के नाम से अंकित है। उक्त भूमियों के राजस्व रिकार्ड खातेदारी में नामान्तरण की कार्यवाही के दौरान प्रार्थी का घरेलू बोलता नाम भोलूराम पटवारी ने पूछताछ में अकिंत कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही एंव वास्तविक रिकार्डेड नाम मोतीराम ही है तथा यही सही नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होना चाहिए था। उक्त नाम मोतीराम ही समस्त दस्तावेजात में अंकित है। ग्राम पंचायत से जारी राशनकार्ड एंव राज्य सरकार द्वारा जारी भामाशाह कार्ड, स्कूल के शैक्षणिक रिकार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र एंव अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम मोतीराम ही अंकित है जो सही एंव सतय है। प्रार्थी को किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर प्रार्थी का नाम मोतीराम की जगह भोलूराम दर्ज होने की जानकारी हुई तो वह राजस्व कर्मचारियों से मिला तथा अपना नाम मोतीराम अकिंत कराने के लिए निवेदन किया तो उन्होनें न्यायालय से आदेश लाने के लिए कहा। इसलिए प्रार्थी को न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मोतीराम अंकित नहीं होने से प्रार्थी को सख्त हकतलफी है एंव राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओ से महरूम हो रहे है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जा रहा है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तन् ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 498 रकबा 0.04 हैक्टर एंव खसरा न. 500 रकबा 2.72 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.76 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 485 रकबा 0.70 हैक्टर, 486 रकबा 0.83 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भोलूराम की जगह मोतीराम सही संशोधन किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी की नोटिस तामील सम्यक रूप से हो जाने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.22 17:06:08 IST
Reason: SelfAttested

08/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1117/भू.अ./2022 दिनांक 27.04.2022 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि :-

तन् ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के कृषि भूमि खसरा नम्बर 498 रकबा 0.04 हैक्टर एंव खसरा न. 500 रकबा 2.72 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.76 हैक्टर में 1/15 हिस्से की खातेदारी व कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 0.70 हैक्टर, 486 रकबा 0.83 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टर के 1/30 हिस्से की खातेदारी भोलूराम पि. भागीरथ जाति कुमावत व अन्य सह खातेदारान् के नाम से अंकित है। मोतीराम पुत्र भागीरथ मल जाति कुमावत निवासी पृथ्वीपुरा का ही बोलता नाम भोलूराम पि. भागीरथ है। प्रार्थी मोतीराम पुत्र भागीरथ मल के समस्त दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड व समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में भी नाम मोतीराम ही दर्ज है। प्रार्थी का नाम भोलूराम पुत्र भागीरथ मल के स्थान पर मोतीराम पुत्र भागीरथ शुद्ध किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई है।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रकरण में वकील प्रार्थी ने भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया तथा बहस पर सागौर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में प्रार्थी का [illegible] राम पुत्र भागीरथ नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, भारतीय स्टेट बैंक की पासबुक, प्रार्थी का 10/- रूपये का स्वंय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.22 17:06:08 IST
Reason: SelfAttested

08/06/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

शपथ पत्र व समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में भी नाम मोतीराम पुत्र भागीरथ ही दर्ज है। जिसके लिए प्रार्थी के भाई मदनलाल पुत्र भागीरथ ने साक्ष्य में पेश शपथ पत्र में भी प्रार्थी का नाम भोलूराम के स्थान पर मोतीराम होना अंकित किया है। प्रार्थी का नाम भोलूराम पुत्र भागीरथ मल के स्थान पर मोतीराम पुत्र भागीरथ मल शुद्ध किये जाने की अभिशंषा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा की जाने पर उक्त राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं। जिसकी वर्तमान राजस्व अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में शुद्ध करना न्यायहित में आवश्यक है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा तन् ग्राम पृथ्वीपुरा पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान के कृषि भूमि खसरा नम्बर 498 रकबा 0.04 हैक्टर एंव खसरा न. 500 रकबा 2.72 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.76 हैक्टर में 1/15 हिस्से की खातेदारी में व कृषि भूमि खसरा नम्बर 485 रकबा 0.70 हैक्टर, 486 रकबा 0.83 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.53 हैक्टर के 1/30 हिस्से की खातेदारी में प्रार्थी का नाम भोलूराम के स्थान पर मोतीराम दुरूस्त कर दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाकर राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रदान किये जाते है। इस बाबत तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

08/06/22
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.06.22 17:06:08 IST
Reason: SelfAttest

यह निर्णय आज दिनांक 08/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/06/22